30- पारिवारिक व्यवस्थापन (Family Arrangement)

यह पारिवारिक व्यवस्था (1) क ख आयु.....वर्ष, सुपुत्र....., निवासी.....(प्रथम पक्ष)..(2) ग घ, आयु..... वर्ष, उक्त क ख की सुपुत्री, (द्वितीय पक्ष) तथा (3) ङ च, आयु..... वर्ष, सुपुत्र.....तथा उक्त ग घ के पति,(तृतीय पक्ष) जिनमें (2) तथा (3) एक साथ..... पर रहते हैं, के बीच 20.... ..वर्ष के.....के.....दिन किया गया। चूँकि क कख अपनी पत्नी ख ग, जो कि ग घ की सौतेली माता है, के साथ निवृत्त (Retired) जीवन व्यतीत कर रहा है; और चूँकि क ख के.....में नगरोपांत (Suburb) में एक ग्रामीण निवास–गृह (Residential country house) है और .....शहर में भी एक मकान है; और चूँकि उक्त क ख सदैव अपनी पत्नी के साथ उक्त ग्रामीण निवास–गृह में रहता है और ..... में.....पर स्थित मकान पर एक आभोगी का कथन दखल है, जो कि उक्त क ख को.....रु0 मासिक किराया अदा करता है। और चूंकि उक्त क ख ने दिनांक.....के वैवाहिक समाधान (marriage settlement) किया था, जिसकी.....सब–रजिस्ट्री में संख्या... ..... पर बुक.....खण्ड.....के पृष्ठ पर दिनांक 20.....के .... के दिन रजिस्ट्री की गयी तथा जिसके द्वारा क ख की मृत्यु के उपरान्त उक्त शहरी मकान ग घ में पूर्ण रूप से निहित (vest) हो गया और चूंकि ग घ को अपने पति के कारोबार के कारण कलकत्ते में एक किराये के भू–गृहादि में रहना पड़ता है, जो इसकी आवश्यकता के लिए सुविधाजनक नहीं है; अतएव अब पक्षकारों के बीच यह व्यवस्था की गयी है जो दोनों पक्षकारों तथा ग घ तथा ङ च के दायद, प्रतिनिधियों तथा प्रशासकों (administrators) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन बाध्य होगी :–

(1) यह कि क ख के कलकत्ते में स्थित मकान पर, जिसकी संख्या..... .है और जो.....नामक स्ट्रीट पर स्थित है, इस व्यवस्था में उल्लिखित दिनांक या यथासम्भव बिना किसी भाटक के दखल किया जा सकता है, पर दखल के दिनांक से देय सभी करों (taxes), उपकरों, (cess) तथा उप–शुल्कों तथा उसके रखरखाव के खर्चों की अदायगी उक्त ग घ और उसके पति तथा संतानों द्वारा की जायेगी।

(2) यह कि उक्त ग घ तथा ङ च को संयुक्त रूप से और अलग–अलग एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है और अधिकार दिया जाता है कि वे अपने खर्च पर अपनी या उक्त क ख की ओर से सभी ऐसी विधिक अथवा अन्य प्रकार की कार्यवाहियॉ करेंगे, जो कि वर्तमान आभोगी को बेदखल करने के लिए आवश्यक हो और तात्पश्चात् कलकत्ते के उक्त शहरी मकान को अपने निवास स्थान या कार्यालय या दोनों के प्रयोजनार्थ धारण करेंगे।

(3) यह कि उक्त व्यवस्था के प्रतिफल स्वरूप, बशर्ते वह प्रभावी हो, उक्त ग घ और उसके पति, उक्त ङ च.. .....रु0 मासिक आजीवन वार्षिकी (life annuity) जो उक्त क ख की मृत्यु से प्रारम्भ होगी, यदि क ख अपनी पत्नी उक्त ख ग से पूर्व मृत हो (precedeasing) इस व्यवस्था के साक्ष्य स्वरूप उक्त क ख, उक्त ग घ और उक्त ङ च ने आगे स्थान पर उपरिलिखित वर्ष और दिन को हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षी :–

1. नाम, पिता का नाम (हस्ताक्षरित) क ख
पता
2. नाम, पिता का नाम (हस्ताक्षरित) ग घ
पता

टिप्पणीः–वास्तव में यह पारिवारिक विवादों के समाधान के वास्तविक भाव के अनुसार एक पारिवारिक विवाद का समाधान नहीं है बल्कि ऐसे विलेख को एक पारिवारिक व्यवस्था कहा जाता है, मैसी बनाम जान नन्ने, (1937) 132 ई0आर0 494 और 107 ई0आर0 1049 देखिये।